6

कुंदन

हिंदी व्याकरण

अध्यापक सहायक-पुस्तिका

WOODS
BOOK PUBLISHING

कुंदन हिंदी व्याकरण–6

1. भाषा और व्याकरण

(क) 1. दो 2. बोली 3. लिपि 4. 22 5. 3 **(ख)** 1. भाष् 2. देवनागरी 3. बोली 4. व्यवस्था 5. मौखिक **(ग)** 1. 3 2. 7 3. 7 4. 3 5. 7 **(घ)** 1. मनुष्य को अपने मन के भावों व विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। 2. **भाषा तथा बोली में प्रमुख अंतर–**(क) भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। (ख) भाषा का संबंध व्याकरण से होता है, जबकि बोली व्याकरण सम्मत नहीं होती। (ग) बोली का प्रयोग बोलचाल में होता है, जबकि साहित्य की रचना भाषा में होती है। 3. मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन ध्वनि-चिह्नों को प्रयोग किया जाता है, उन्हें **'लिपि'** कहते हैं। हिंदी और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि 'रोमन' है। अरबी तथा उर्दू भाषा की लिपि 'फ़ारसी' है। पंजाबी भाषा की लिपि 'गुरुमुखी' है। मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि देवनागरी है। 4. किसी भाषा की नियमावली को उसका 'व्याकरण' कहते हैं। भाषा को व्यवस्था प्रदान करने के लिए कुछ नियमों की स्थापना की जाती है। हर भाषा में ध्वनियों, शब्दों और वाक्यों की रचना से संबंधित नियम भी अलग-अलग होते हैं। व्याकरण इन नियमों का संकलन तथा विश्लेषण कर भाषा की एक सुनिश्चित व्यवस्था प्रस्तुत करता है। व्याकरण का सही ज्ञान प्राप्त करके ही हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, समझना और पढ़ना-लिखना सीख सकते हैं। 5. व्याकरण के तीन भाग हैं–(1) वर्ण-विचार (2) शब्द-विचार (3) वाक्य-विचार **(1) वर्ण-विचार–**इसके अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्गीकरण, उनके संयोग और संधि आदि के नियमों पर विचार किया जाता है। **(2) शब्द-विचार–**इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, व्युत्पत्ति और रचना आदि से संबंधित नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। **(3) वाक्य-विचार–** व्याकरण के इस भाग में वाक्यों के भेद, उनके संबंध, वाक्य- विश्लेषण, संश्लेषण, विराम- चिह्नों आदि के बारे में विचार किया जाता है। **करने की बारी–**स्वयं करें।

2. वर्ण-विचार

(क) 1. 11 2. 7 3. 33 4. 48 5. ये दोनों **(ख)** 1. शब्दों 2. वर्णों 3. अनुनासिक 4. तीन 5. ह् **(ग)** 1. 3 2. 3 3. 7 4. 3 5. 3 6. 3 **(घ)** 1. जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। 2. जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। 3. स्वरों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इन्हें बोलते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है।

व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, इन्हें बोलते समय वायु मुख में अलग-अलग स्थानों पर रुककर निकलती है। 4. व्यंजनों के तीन भेद होते हैं–(क) स्पर्श व्यंजन (ख) अंत:स्थ व्यंजन (ग) ऊष्म व्यंजन **(क) स्पर्श व्यंजन**–जिन व्यंजनों को बोलने में वायु किसी स्थान विशेष को स्पर्श करती हुई मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में पच्चीस हैं, जो पाँच वर्गों में बँटे हुए हैं–**कवर्ग**–क, ख, ग, घ, ङ **चवर्ग**–च, छ, ज, झ, ञ **टवर्ग**–ट, ठ, ड, ढ, ण **तवर्ग**–त, थ, द, ध, न **पवर्ग**–प, फ, ब, भ, म **(ख) अंत:स्थ व्यंजन**–जिन व्यंजनों को बोलने में वायु अवरोध की दृष्टि से स्वरों एवं व्यंजनों के मध्य की स्थिति में आती है, उन्हें अंत:स्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में चार हैं–य, र, ल, व। **(ग) ऊष्म व्यंजन**–जिन व्यंजनों को बोलने में मुख से गर्म हवा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में चार हैं–श, ष, स, ह। 5. **अनुस्वार**–मंडल, चंचल, जंगल, बंदर **अनुनासिक**–दाँत, आँख, गाँव, चाँद **विसर्ग**–पुन:, दु:ख, संभवत:, प्रात:। **(ङ)** 1. प् + अ + र् + इ + व् + आ + र् + अ 2. क् + अ + व् + इ + त् + आ 3. व् + य् + आ + क् + अ + र् + अ + ण् + अ 4. ट् + अ + म् + आ + ट् + अ + र् + अ 5. उ + च् + च् + आ + र् + अ + ण् + अ 6. व् + इ + द् + य् + आ + ल् + अ + य् + अ 7. श् + इ + क् + ष् + इ + त् + अ 8. व् + इ + द् + ए + श् + अ **(च)** वंश, आँख, पाँच, कंस, संशय, फँस, मुँह, हंस **करने की बारी**–स्वयं करें।

3. शब्द विचार

(क) 1. यौगिक 2. तत्सम 3. चार 4. चार 5. योगरूढ़ **(ख)** 1. दो 2. विदेशी 3. एकार्थी 4. विलोम **(ग)** 1. 3 2. 7 3. 7 4. 7 5. 7 **(घ)** 1. निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण-समूह को शब्द कहते हैं। जैसे–ग्+ई+त्+आ = गीता, छ्+अ+त्+अ+र्+ई = छतरी, म्+ओ+र्+अ = मोर 2. **तत्सम शब्द**–ग्राम, दंत, प्रस्तर, सर्प **तद्भव शब्द**–गाँव, दाँत, पत्थर, साँप 3. **देशज शब्द**–जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी में स्थान पा गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं; जैसे–पैसा, खिड़की, पगड़ी, झुग्गी, पेट, ढाँचा आदि। **विदेशी शब्द**–जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं; जैसे–**अंग्रेज़ी शब्द**–डायरी, पेंसिल, स्कूल, जज, ऑफ़िस, वेटर, लैंप आदि। **फ़ारसी शब्द**–कागज़, गुलाब, रोशनदान, तनख्वाह, चाकू, दरवाज़ा, लाश, नमूना आदि। 4. **रूढ़ शब्द**–जो शब्द किसी सामान्य प्रचलित अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और यदि उनके टुकड़े किए भी जाएँ तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। 5. रूढ़ शब्द किसी सामान्य प्रचलित अर्थ को प्रकट करते हैं तथा इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और यदि उनके टुकड़े किए भी जाएँ तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है; जैसे-

पानी, गाय, गाड़ी आदि। (पा + नी, गा + य, गा + ड़ी) इन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं है। जबकि योगरूढ़ शब्द दो यो दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं तथा किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे-नील+कंठ=नीलकंठ अर्थात् नीले कंठ वाला (भगवान शिव) दश+आनन = दशानन अर्थात् दस सिर वाला (रावण) **(ङ)** स्वयं करें। **करने की बारी–** स्वयं करें।

4. शब्द-रचना : संधि

(क) 1. संधि 2. स्वर संधि 3. ए 4. 'औ' का 'आव' हो जाता है **(ख)** 1. संधि 2. आ 3. महेश 4. गुण संधि 5. विसर्ग **(ग)** इत्यादि, तथैव, पावक, मुनीश, हिमालय, नदीश, राजेंद्र, मनोहर, यशोदा, धनुष्टंकार, सच्चरित्र, उद्धार **(घ)** समय+अनुकूल, अभि+इष्ट, महा+इंद्र, एक+एक, नै+अक, पो+अन, चे+अन, उपरि+उक्त, प्रति+उत्तर, जगत्+ईश **(ङ)** 1. संधि के भेद हैं–स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। 2. **दीर्घ संधि–**जब किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ रूप आता है, तो दोनों वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यह दीर्घ संधि कहलाती है। **उदाहरण–**नियम + अनुसार = नियमानुसार, सार + अंश = सारांश। **गुण संधि–**जब 'अ', 'आ' के बाद 'इ', 'ई', वर्ण मिलते हैं, तो 'ए' होता है। 'अ' के बाद 'उ', 'ऊ' वर्ण हों, तो दोनों मिलकर ओ' हो जाते हैं। 'अ', 'आ' के बाद 'ऋ' होने पर दोनों का मिलन 'अर्' हो जाता है। दो वर्णों का यह मेल गुण संधि कहलाता है। **उदाहरण–अ+इ=ए–**नर+इंद्र = नरेंद्र, गज+इंद्र = गजेंद्र, देव+इंद्र =देवेंद्र, धर्म+इंद्र = धमेंद्र 3. **वृद्धि संधि–**जब 'अ' या 'आ' के बाद 'ए' या 'ऐ' हों, तो दोनों वर्ण मिलकर 'ऐ' हो जाते हैं तथा 'अ' या 'आ' के बाद 'ओ' या 'औ' होने पर 'औ' हो जाते हैं। इन वर्णों के इस मिलन को वृद्धि संधि कहते हैं। (2) **यण् संधि–**इ या ई के बाद इससे भिन्न कोई स्वर हो, तो इ या ई के स्थान पर य हो जाता है। उ या ऊ के पश्चात् इससे भिन्न कोई स्वर हो, तो उ या ऊ का व हो जाता है और ऋ के पश्चात् ऋ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, तो ऋ का र् हो जाता है। 4. **अयादि संधि–**ए, ऐ, ओ या औ के बाद यदि कोई विजातीय स्वर आ जाए, तो ए का अय, ऐ का अव और औ का आव हो जाता है। ऐसी संधि को अयादि संधि कहते हैं। **उदाहरण–** ए+अ=अय, चे+अन=चयन, ने+अन=नयन, ऐ+अ=आय-नै+अक=नायक, गै+अक=गायक 5. मन:+ज=मनोज, नि:+धन=निर्धन, नि:+संदेह=निस्संदेह **करने की बारी–**स्वयं करें।

5. समास

(क) 1. समस्तपद 2. संख्यावाचक 3. दोनों पद **(ख)** 1. समास 2. दो 3. छह **(ग)** 1. परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों (पदों) के मेल को समास कहते हैं;

जैसे–रसोईघर (रसोई के लिए घर), राजा-रानी (राजा और रानी) आदि। 2. समास के छह भेद हैं–(1) तत्पुरुष समास, **उदाहरण–**शरणागत (2) कर्मधारय समास, **उदाहरण–** नरोत्तम (3) द्विगु समास, **उदाहरण–**पंचरत्न। (4) बहुव्रीहि समास, **उदाहरण–** नीलकंठ। (5) द्वंद्व समास, **उदाहरण–**राजा-प्रजा (6) अव्ययीभाव समास, **उदाहरण-** प्रत्येक 3. तत्पुरुष समास के उपभेद–(1) **कर्म तत्पुरुष** ('को' का लोप) **रथचालक–**रथ को चलाने वाला, **यशप्राप्त–**यश को प्राप्त (2) **करण तत्पुरुष** ('से', 'के द्वारा' का लोप) **गुणयुक्त–**गुणों से युक्त, **हस्तलिखित–**हाथ के द्वारा लिखित (3) **संप्रदान तत्पुरुष** ('के लिए' का लोप) **मार्गव्यय–**मार्ग के लिए व्यय, **डाकगाड़ी–**डाक के लिए गाड़ी (4) **अपादान तत्पुरुष** ('से' 'अलग होने के' अर्थ में का लोप) **पथभ्रष्ट–**पथ से भ्रष्ट, **देशनिकाला –**देश से निकाला (5) **संबंध तत्पुरुष** ('का, की, के' का लोप) **अमृतधारा–**अमृत की धारा, **राजपुत्र–**राजा का पुत्र **दीनानाथ**-दीनों के नाथ (6) **अधिकरण तत्पुरुष** ('में, पर' का लोप) **घुड़सवार–**घोड़े पर सवार, **कार्यकुशल–**कार्य में कुशल **(घ)** 1. संधि और समास दोनों यद्यपि 'मेल' करने की प्रकृति रखते हैं, परंतु दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। दोनों में अंतर इस प्रकार है–(1) संधि में वर्णों का और समास में शब्दों का मेल होता है। (2) संधि में वर्णों के योग से वर्ण-परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में दो या अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। 2. कर्मधारय समास में समस्तपद का एक पद गुणवाचक विशेष और दूसरा पद विशेष्य होता है। परंतु द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। **उदाहरण–**नीलगगन, नीला है जो गगन (कर्मधारय), नवग्रह–नौ ग्रहों का समूह (द्विगु) 3. कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है, और दूसरा विशेष्य या उपमेय होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्तपद ही किसी संज्ञा का विशेषण होता है। **कर्मधारय समास–**नीलकंठ = नीला है जो कंठ (विशेषण-नीला), **बहुव्रीहि समास–**नीलकंठ=नीले कंठ वाला (शिव) द्विगु समास में समस्तपद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य, परंतु बहुव्रीहि समास में समस्तपद ही विशेषण का कार्य करता है। **द्विगु–समस्तपद–**पंचरत्न, **विग्रह–**पाँच रत्नों का समूह। **बहुव्रीहि–समस्तपद–**पंचरत्न–**विग्रह–**पाँच रत्नों वाला। **(ङ) विग्रह–**चार भुजाओं वाला, जेब के लिए खर्च, वन में वास करने वाला, तीन लोचन (आँखें) हैं जिसके राजा का कुमार, नीली है जो गाय **समास का नाम–**बहुव्रीहि, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, बहुव्रीहि, संबंध तत्पुरुष, कर्मधारय **करने की बारी–**स्वयं करें।

6. शब्द भंडार

(क) जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं 'पर्यायवाची शब्द' कहलाते हैं। **(ख)** व

(ग) स्वयं करें। **(क)** कृतघ्न, प्रकट, अनुदार, पराधीन, भाटा, दोषी, दुर्गंध, मरण, आस्तिक, स्वर्ग, दानी, वियोग **(ख)** 1. उपजाऊ 2. अप्रत्यक्ष 3. अभिशाप 4. जीत 5. प्ररोह **(ग)** उदय-अस्त, सभ्य-असभ्य, क्रय-विक्रय, हर्ष-शोक, ठोस-तरल। **(क)** स्वयं करें। **(ख)** 1. मोर 2. यमराज 3. कमल **(क)** 1. विधवा 2. गोपनीय 3. निर्लज्ज 4. अकथनीय 5. उपर्युक्त 6. भूतपूर्व **(ख)** (1) रवि चरित्रवान लड़का है। (2) इसका अनर्थ है। (3) उसे मासिक वैतन मिलता है। (4) उपर्युक्त वाक्य शुद्ध है। (5) मेरे पास हस्तलिखित पुस्तक है। **(ग)** 1. अटल 2. चतुर्भुज 3. अजातशत्रु **(क)** 1. कपट, कपाट 2. काठ, काट 3. समान, सम्मान 4. अनिल, अनल **(ख)** 1. मुख्य, कीमत 2. नक्षत्र, घर 3. काला, संध्या 4. बहुत, वधू 5. हाथी, एक नाप 6. किनारा, सब, वंश **करने की बारी–**स्वयं करें।

7. संज्ञा

(क) 1. पाँच 2. उड़ान 3. व्यक्तिवाचक संज्ञा 4. जातिवाचक संज्ञा 5. पढ़ाई **(ख)** 1. एकवचन 2. पाँच 3. जातिवाचक 4. समूहवाचक 5. द्रव्यवाचक **(ग)** हिमालय-व्यक्ति वाचक, मिठास-भाववाचक; ईश्वर-जातिवाचक, पानी-द्रव्यवाचक, ग्राम-जातिवाचक, लोहा-द्रव्यवाचक, क्षत्रिय-जातिवाचक, कक्षा-समूहवाचक **(घ)** गरीबी, राष्ट्रीयता, समीपता, ऊपरी, थकावट, उड़ान, बड़ाई, परायापन, बचपन, मित्रता, शैशव, वकालत, बुढ़ापा, खटास, सेवा, कमाई, शिक्षा, मनाही **(ङ)** 1. किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं; जैसे-गाय, आदमी, राम, नेहा, पुस्तक, ईमानदारी, बुढापा आदि। 2. संज्ञा के मुख्यत: पाँच भेद माने जाते हैं–(1) व्यक्तिवाचक संज्ञा (उदाहरण–श्याम, भारत, हिमालय, गंगा (2) जातिवाचक संज्ञा (उदाहरण-लड़का, पुस्तक, नगर, पर्वत, मनुष्य) (3) भाववाचक संज्ञा (उदाहरण-सुख, बचपन, मित्रता, जवानी, उदारता) (4) समुदायवाचक संज्ञा (उदाहरण-संज्ञा, कक्षा, दल, सभा, मंडल, गुच्छा) (5) द्रव्यवाचक संज्ञा (उदाहरण-लोहा, सोना, पीतल, गेहूँ, चावल) 3. **व्यक्तिवाचक संज्ञा के पाँच उदाहरण–**सुरेश, पूर्व, भारत, हिमालय, गंगा 4. **जातिवाचक** संज्ञा से प्राणी, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है, जैसे–बालक, पुस्तक, नगर, पर्वत, मनुष्य, नदी, बहन, भाई, आम, कुर्सी, कवि, अध्यापक, घोड़ा, मामा, चाचा, फूल, तोता, कबूतर आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है; जैसे-कुलदीप, सीता, रामचरितमानस, नेपाल आदि। **करने की बारी–**स्वयं करें।

8. लिंग

(क) 1. स्त्रीलिंग 2. पुल्लिंग 3. पुल्लिंग 4. स्त्रीलिंग **(ख)** 1. कुत्ता 2. गायक 3. सास 4. नदी **(ग)** स्त्री, पाठिका, नौकरानी, लेखिका, पत्नी, पंडिताइन, युवती, बुढ़िया **(घ)** 1. इमली

मीठी होती है। 2. उसकी नाक लंबी है। 3. लड़की खेल रही है। 4. मोरनी नाच रही है। 5. नायिका दौड़ रही है। **(ङ)** 1. संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं; जैसे–पिता-माता, गाय-बैल आदि। 2. लिंग के दो भेद हैं–(1) पुल्लिग (उदाहरण-शेर) (2) स्त्रीलिंग (उदाहरण-शेरनी) **करने की बारी–**स्वयं करें।

9. वचन

(क) 1. वचन 2. होश 3. एकवचन में 4. मजदूर वर्ग **(ख)** 1. दो 2. वचन 3. एक प्राणी, वस्तु अथवा स्थान 4. एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों **(ग)** बात, पंखा, बोली, रात, जड़, दीया, तिथि, मंत्री, सड़क, लड़की, घोड़ा, शाखा, सेना, गली, छात्र, कपड़ा **(घ)** दवाइयाँ, पगड़ियाँ, चिड़ियाँ, विद्यार्थीगण, मिठाइयाँ, नेतागण, गुफाएँ, मटके, लड़के, आँखें, नदियाँ, कीमतें, सभाएँ, मछलियाँ, बच्चे, गुरुजन **(ङ)** 1. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं; जैसे-मूर्ति-मूर्तियाँ, संतरा-संतरे, पत्रिका-पत्रिकाएँ। 2. वचन के दो भेद होते हैं–(1) एकवचन (2) बहुवचन 3. शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, उसे एकवचन कहते हैं; जैसे–लड़का, मुर्गा, बकरी, कुर्सी, कक्षा आदि। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं; जैसे–लड़के, मुर्गे, बकरियाँ, कुर्सियाँ, कक्षाएँ आदि। 4. (1) स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए 'अ' को 'एँ (ँ)' में बदलकर बहुवचन बनाते हैं; जैसे–**एकवचन–**कीमत, बात **बहुवचन–**कीमतें, बातें (2) पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए 'आ' को 'ए' में बदलकर बहुवचन बनाते हैं; जैसे–**एकवचन–**घोड़ा, मटका **बहुवचन–**घोड़े, मटके। **करने की बारी–**स्वयं करें।

10. कारक

(क) 1. अपादान कारक 2. करण कारक के 3. देना 4. छत **(ख)** 1. से 2. ने, से 3. से, का 4. से 5. को **(ग)** 1. 7 2. 3 3. 7 4. 3 **(घ)** कर्ता-ने, कर्म-को, अधिकरण-में, पर, संबोधन-हे, अरे, ओ, अपादान-से, संबंध-का, के, की; रा, रे, री, करण-से, के द्वारा, संप्रदान-के लिए, को। **(ङ)** 1. संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, वह कारक कहलाता है। 2. संज्ञा अथवा सर्वनाम के रूप को बताने के लिए उनके आगे जो 'ने', 'को', 'से' आदि चिह्न लगते हैं उन्हें विभक्ति चिह्न कहते हैं। 3. कारक के आठ भेद हैं–(1) कर्ता कारक (2) कर्म कारक (3) करण कारक (4) संप्रदान कारक (5) अपादान कारक (6) संबंध कारक (7) अधिकरण कारक (8) संबोधन कारक 4. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार

या स्थान का पता चले, उसे अधिकरण कारक कहते हैं; जैसे–कार फुटपाथ पर चढ़ गई। कक्षा में सभी छात्र उपस्थित हैं। इन वाक्यों में फुटपाथ व कक्षा अधिकरण कारक हैं। 5. कर्म और संप्रदान दोनों ही कारकों में 'को' परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जहाँ कर्म पर क्रिया का फल पड़ता है, वहाँ कर्म कारक तथा जहाँ देने का भाव होता है, वहाँ संप्रदान कारक होता है; जैसे-रवि ने **भाई को** बुलाया। (कर्म कारक), रवि ने **भाई को** केला दिया। (संप्रदान कारक) **(च)** 1. कर्म 2. संबोधन 3. कर्ता 4. करण 5. अधिकरण 6. संबंध **करने की बारी–**1. अधिकरण 2. संबोधन 3. कर्ता 4. संप्रदान 5. अपादान 6. करण 7. संबंध 8. कर्म **करने की बारी–**स्वयं करें।

11. सर्वनाम

(क) 1. छह 2. तीन 3. अनिश्चयवाचक **(ख)** 1. उसका 2. वह 3. मेरे 4. कोई **(ग)** 1. मैं वहाँ गया था। 2. वह वहाँ तुझसे मिलेगा। 3. मुझे आज जाना है। 4. किस आदमी का घर गली में है? 5. मैंने तुझको कितना समझाया। **(घ)** 1. वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं; जैसे–मैं, मेरा, तुम, आप, वह, ये आदि सर्वनाम हैं। 2. सर्वनाम छह प्रकार के होते हैं–(1) पुरुषवाचक सर्वनाम (2) निश्चयवाचक सर्वनाम (3) अनिश्चयवाचक सर्वनाम (4) संबंधवाचक सर्वनाम (5) प्रश्नवाचक सर्वनाम (6) निजवाचक सर्वनाम 3. नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। 4. स्वयं करें। 5. जो सर्वनाम निकट या समीप के व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करें, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं; जैसे–यह, ये, वह, वे, इन्हें आदि। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं; जैसे– कोई, कुछ आदि। 6. सर्वनाम में लिंग के कारण परिवर्तन नहीं होता इसके पाँच उदाहरण निम्न हैं-(1) मैं जाता हूँ। मैं जाती हूँ। (2) आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रही हैं? (3) वह पढ़ता है। वह पढ़ती है। (4) हम खेल रहे है। हम खेल रही हैं। (5) तुम नाचते हो। तुम नाचती हो। **करने की बारी–**स्वयं करें।

12. विशेषण

(क) 1. गुणवाचक 2. पाँच 3. दो 4. दो **(ख)** 1. सर्वनाम, विशेषण 2. परिमाणवाचक 3. तीन 4. निश्चित संख्यावाचक **(ग)** कुलीन, फलदार, भारतीय, श्रद्धालु, व्यापारिक, भारी, सुखी, राष्ट्रीय **(घ)** 1. विशेषण के निम्नलिखित भेद हैं–(1) गुणवाचक विशेषण (2) संख्यावाचक विशेषण (3) परिमाणवाचक विशेषण (4) सार्वनामिक विशेषण (5) व्यक्तिवाचक विशेषण 2. स्वयं करें। 3. संख्यावाचक विशेषणों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की

संख्या का बोध होता है; जैसे–(1) राहुल के पास **आठ** गेंद हैं। (2) केशव **तीसरी** कक्षा में पढ़ता है। परिमाणवाचक विशेषणों से किसी वस्तु की माप या तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है; जैसे– (क) **थोड़ा** घी लाओ। (ख) मेरी कमीज़ में **दो मीटर** कपड़ा लगता है। 4. जब किसी सर्वनाम के बाद कोई संज्ञा प्रयुक्त हो, तो सर्वनाम वहाँ सार्वनामिक विशेषण बन जाता है; जैसे–(1) **वे** लोग जा रहे हैं। (2) **यह** मकान श्यामलाल का है। यदि अकेले (संज्ञा के स्थान पर) प्रयुक्त हो, तो सर्वनाम कहलाता है; जैसे-(1) **वे** जा रहे हैं। (2) **यह** मेरा मकान है। 5. दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों-अवगुणों के मिलान को तुलना कहते हैं। **तुलनात्मक विशेषणों के पाँच उदाहरण–**गुरुतर, लघुतर, श्रेष्ठतर, न्यूनतर, महानतर **करने की बारी**-स्वयं करें

13. क्रिया

(क) 1. धातु 2. दो 3. छह **(ख)** 1. हुई 2. पी 3. हुई 4. आया 5. घटी **(ग)** 1. अकर्मक 2. सकर्मक 3. सकर्मक 4. सकर्मक 5. अकर्मक **(घ)** 1. कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं–(1) अकर्मक क्रिया **उदाहरण**-लड़का सोता है। (2) सकर्मक क्रिया **उदाहरण**- माली फूल तौड़ता है। 2. संरचना के आधार पर क्रिया के भेद–(1) सामान्य क्रिया (2) संयुक्त क्रिया (3) नामधातु क्रिया (4) प्रेरणार्थक क्रिया (5) पूर्वकालिक क्रिया (6) तात्कालिक क्रिया। 3. **सामान्य क्रिया**–वाक्य में जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग हो, वह सामान्य क्रिया होती है; जैसे–वह आया। विनोद गया। तुम पत्र लिखो। इन वाक्यों में क्रमशः 'आया, गया, लिखो'-एक-एक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अतः ये सामान्य क्रियाएँ हैं। **संयुक्त क्रिया**–वाक्य में जब दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रिया का साथ-साथ प्रयोग हो, वह संयुक्त क्रिया होती है; जैसे–शिकारी ने हिरण को मार डाला। मैंने खाना खा लिया था। इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हुआ है-मार+डाला, खा+लिया+था। ये सभी संयुक्त क्रियाओं के उदाहरण हैं। 4. मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है; जैसे–बच्चा दूध पीकर सो गया। यहाँ 'पीकर' पूर्वकालिक क्रिया है। **करने की बारी**-स्वयं करें।

14. काल

(क) 1. काल 2. तीन 3. दो 4. छह **(ख)** 1. हेतुहेतुमद् भूतकाल 2. संदिग्ध भूत 3. भविष्यत् काल 4. संभाव्य भविष्यत् **(ग)** 1. भूतकाल, संदिग्ध 2. वर्तमान काल, संदिग्ध 3. भूतकाल, हेतुहेतुमद्, 4. भूतकाल, सामान्य, 5. भविष्यत् काल, संभाव्य **(घ)** 1. क्रिया के विभिन्न रूप काल के वर्गीकरण का आधार हैं। **काल के भेद–**भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत् काल 2. (1) **सामान्य वर्तमान**–क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं; जैसे–लता गाती है।

पिताजी बाजार जाते हैं। (2) **अपूर्ण वर्तमान**–क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी चल ही रहा है, समाप्त नहीं हुआ, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं; जैसे–छात्र पढ़ रहे हैं। बच्चा रो रहा है। (3) **संदिग्ध वर्तमान**–क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह पाया जाए, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं; जैसे–वह आता होगा। नेहा पढ़ रही होगी। 3. भूतकाल के निम्नलिखित छह भेद होते हैं–(1) सामान्य भूत (2) आसन्न भूत (3) अपूर्ण भूत (4) पूर्ण भूत (5) संदिग्ध भूत (6) हेतुहेतुमद् भूत 4. **पूर्ण भूत का उदाहरण**-बच्चा सो गया था। **अपूर्ण भूत का उदाहरण**-रेशमा पाठ याद कर रही थी। **करने की बारी–**1. पढ़ूँगा 2. हो रहा था 3. आएँगे।

15. अविकारी शब्द

(क) 1. अव्यय 2. चार **(ख)** 1. आजकल 2. उतना 3. अधिक 4. कठिन **(ग)** 1. जी हाँ 2. छि: 3. वाह 4. अरे **(घ)** 1. 'अविकारी' शब्द वे होते हैं, जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, अर्थात् जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं–(क) क्रिया-विशेषण (ख) संबंधबोधक (ग) समुच्चयबोधक (घ) विस्मयादिबोधक 2. 'संबंधबोधक' अव्यय वे शब्द हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर, उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं। जैसे-(क) मेरे घर **के सामने** एक दुकान है। (ख) यहाँ आने **से पहले** हम प्रसन्न थे। इन वाक्यों में 'के सामने' व 'से पहले' संबंधबोधक अव्यय हैं। **संबंधबोधक के भेद–**प्रयोग की दृष्टि से हिंदी में दो प्रकार के संबंधबोधक पाए जाते हैं–(1) वे संबंधबोधक जो संज्ञाओं की विभक्ति के बाद आते हैं; जैसे–के पास, के बिना, के यहाँ, के ऊपर, के मारे आदि। (2) वे संबंधबोधक जो संज्ञाओं के बाद बिना विभक्ति के आते हैं; जैसे–तक, भर, पहले, पीछे, समेत आदि। 3. दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले शब्द 'समुच्चयबोधक' अव्यय कहलाते हैं। **उदाहरण**-(क) कविता और अमन चिड़ियाघर देखने गए। (ख) वह चलता रहा, इसलिए समय पर पहुँच गया। समुच्चयबोधक के दो भेद होते हैं–(क) समानाधिकरण (ख) व्यधिकरण **करने की बारी–**स्वयं करें।

16. वाक्य

(क) 1. विधेय 2. विधेय के विस्तारक 3. बूढ़ी **(ख)** 1. वाक्य 2. उद्देश्य 3. उद्देश्य 4. विधेय **(ग)** स्वयं करें। **(घ)** 1. शब्दों का ऐसा सार्थक समूह, जो अपना अर्थ पूर्णत: स्पष्ट करता है, वाक्य कहलाता है। 2. वाक्य के दो अंग होते हैं– उद्देश्य और विधेय। **उद्देश्य व विधेय का उदाहरण देखिए**-राम पढ़ रहा है। इस वाक्य में 'राम' उद्देश्य है तथा 'पढ़ रहा है।' विधेय है। 3. वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं। जबकि

वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, उसे विधेय कहते हैं। 4. **उद्देश्य का विस्तारक**–प्राय: वाक्य में उद्देश्य अकेला आता है किंतु कई बार उसकी विशेषता प्रकट करने के लिए कोई शब्द या वाक्यांश उसके साथ जोड़ दिया जाता है, जिसे उद्देश्य का विस्तारक कहते हैं; जैसे–(क) परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं। (ख) नटखट बालक ने दूध में पानी मिला दिया। उपर्युक्त पहले वाक्य में 'परिश्रमी' शब्द 'व्यक्ति' (कर्ता) की तथा दूसरे वाक्य में 'नटखट' शब्द 'बालक' (कर्ता) की विशेषता बता रहे हैं। अत: ये शब्द उद्देश्य के विस्तारक हैं। **विधेय का विस्तारक**–वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग विधेय में आए कर्म या क्रिया की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, उन्हें विधेय का विस्तारक कहते हैं; जैसे–(क) सुरेश ने एक पुस्तक खरीदी। (ख) नमन बहुत तेज़ दौड़ा। उपर्युक्त पहले वाक्य में 'एक' शब्द 'पुस्तक' (कर्म) की तथा दूसरे वाक्य में 'बहुत तेज़' शब्द 'दौड़ा' (क्रिया) की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। अत: ये शब्द विधेय के विस्तारक हैं। 5. रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं–(क) सरल या साधारण वाक्य (ख) संयुक्त वाक्य (ग) मिश्र वाक्य। 6. **सरल वाक्य**–जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। **मिश्र वाक्य**–जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। **(ङ) उद्देश्य**–1. श्रुति 2. भिखारी 3. पृथ्वीराज चौहान 4. रवि 5. धोनी **विधेय**–1. गीत गा रही है। 2. सड़क पर खड़ा था। 3. वीर योद्धा थे। 4. फूलों की माला बना रहा है। 5. एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी है। **करने की बारी**–स्वयं करें।

17. कुछ सामान्य अशुद्धियाँ

(क) 1. सांसारिक 2. बीमारी 3. हँसना 4. शृंगार 5. अत: 6. गृहस्थ **(ख)** उज्ज्वल, उपर्युक्त, श्मशान, गुरु, ज्योत्स्ना, मुस्लिम, संन्यासी, ऋषि, दीपावली, वनस्पति **(ग)** 1. भैंस को रस्सी से बाँधकर ले गए। 2. वह दंड पाने योग्य है। 3. उसने एक ही बात कही। 4. राहुल ने पत्र लिखा। 5. कृपया आप ही उसे समझाएँ। 6. मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ। 7. उसे पढ़ना है, पर मुझे खेलना है। 8. घर में सब कुशल हैं। 9. वहाँ सब प्रकार की वस्तुएँ उपलब्ध हैं। 10. मुझे घर जाना है। 11. सज्जन पुरुष सभी का हित चाहते हैं। 12. वह आदमी पागल हो गया। **करने की बारी**–स्वयं करें।

18. विराम-चिह्न

(क) 1. लिखित भाषा में 2. लाघव चिह्न का 3. दो प्रकार के **(ख)** 1. अर्ध विराम 2. योजक 3. पूर्ण विराम 4. विस्मयादिबोधक 5. लाघव 6. उद्धरण 7. प्रश्नवाचक 8. अल्प विराम **(ग)** 1. निशा, नवनीत और निक्की नाटक में भाग लेंगे। 2. क्या इशिता ने तुम्हारी पुस्तक लौटा दी? 3. महात्मा गाँधी ने कहा, ''अंग्रेज़ों भारत छोड़ो।'' 4. जब मैं उसके घर गया; वह खेल रहा था। 5.

अधिक परिश्रम करो, परीक्षा निकट है। 6. वाह! खाना बहुत स्वादिष्ट है। **(घ)** 1. लिखित भाषा में रुकने का संकेत करने के लिए जिन चिह्नों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम-चिह्न कहते हैं। 2. हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ प्रमुख विराम-चिह्न इस प्रकार हैं–(1) पूर्ण विराम (।) (2) अल्प विराम (,) (3) अर्ध विराम (;) (4) प्रश्नवाचक चिह्न (?) (5) विस्मयादिबोधक चिह्न (!) (6) योजक चिह्न (–) (7) उद्धरण चिह्न (‘ ’) (“ ”) (8) लाघव चिह्न (०) 3. वाक्य में जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है, वहाँ अल्प विराम (,) का प्रयोग किया जाता है; जैसे–(क) राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाई थे। (ख) रुको, आगे गहरी खाई है। जब वाक्य में अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज़्यादा देर रुकना पड़ता है, तब अर्ध विराम (;) का प्रयोग किया जाता है; जैसे–(क) आप चलिए; हम पहुँच जाएँगे। (ख) रात्रि का समय था; बादल गरज रहे थे; बिजली चमक रही थी। 4. प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिह्न (?) का प्रयोग किया जाता है; जैसे–(क) यश कहाँ से आया है? (ख) क्या तुम कल कोलकाता जाओगे? **करने की बारी–**स्वयं करें।

19. मुहावरे और लोकोक्तियाँ

(क) 1. पर साँप लोटने लगा। 2. से बातें करता 3. अक्षर भैंस बराबर है। 4. में सागर भर दिया है। 5. में धूल झोंककर **(ख)** स्वयं करें। **(ग)** 1. अधजल गगरी छलकत जाय 2. उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे। 3. अब पछताए होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। 4. चार दिन की चाँदनी फिर अँधेरी रात 5. एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा। **(घ)** 1. शब्दों का ऐसा समूह जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, किसी विशिष्ट अर्थ को प्रकट करे, मुहावरा कहलाता है। 2. लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्तियाँ भूतकाल के लोक-अनुभवों का परिणाम होती हैं तथा वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती हैं। इन्हें साधारण बोलचाल की भाषा में ‘कहावत’ भी कहा जाता है। **उदाहरण–**पाँचों उँगलियाँ घी में होना (**अर्थ–**हर तरह लाभ ही लाभ होना। 3. **मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर–** मुहावरे और लोकोक्ति में मुख्य रूप से निम्नलिखित दो अंतर हैं–**(क)** मुहावरा वाक्य-खंड होता है, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। **(ख)** मुहावरे वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं, अत: वाक्य का अंग बन जाते हैं। लोकोक्ति वाक्य का अंग नहीं होती, उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के अंत में उदाहरण स्वरूप किया जाता है। **करने की बारी–**स्वयं करें।